ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत स्वच्छ बिहार पोर्टल के अंतर्गत SCDPM (Special Campaign For Disposal Of Pending Matters) के क्रियान्वयन हेतु दिनांक–01.07.2025 (मंगलवार) को पूर्वाहन 11:00 बजे विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आहूत समन्वय बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः–संलग्न सूची के अनुसार।

2. सर्वप्रथम संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ बिहार पोर्टल ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को बिहार स्वच्छता पोर्टल के विभिन्न डोमेन के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया।

3. स्वच्छ बिहार पोर्टल के अंतर्गत SCDPM के क्रियान्वयन हेतु आयोजित समन्वय बैठक में निम्न निदेश दिये गयेः–

(1) <u>e-Office का क्रियान्वयन–</u> (i.) इस बैठक में श्री संजीव रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि e-Office के क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मी/पदाधिकारी का User ID एवं Password NIC द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा विभाग अंतर्गत कुल 15 प्रशाखाओं के चैनल के पदाधिकारियों को NIC द्वारा संचिका का ऑनलाईन परिचालन हेतु मैप किया जायेगा।

(ii.) अवर सचिव द्वारा बताया गया कि विभाग अंतर्गत सभी प्रशाखाओं के सर्वप्रथम क्रियाशील संचिकाओं का Scanning एवं Uploading कार्य हेतु आमंत्रित Quotation के आलोक में Muneosuccess Business Solutions, PVT Ltd, Patna एजेंसी का चयन किया गया है। चयनित एजेंसी द्वारा संचिका का Scanning कर डेमो दिया गया है।

(iii.) उक्त बैठक में आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आगामी बैठक में शामिल किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। सर्वप्रथम प्रशाखा–01, 07 एवं 15 में संधारित संचिकाओं का Scanning एवं Uploading किया जाना है।

एजेंसी द्वारा यह बताया गया कि संबंधित प्रशाखाओं में कार्यरत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के Login में स्कैनिंग डाटा को अपलोड किया जायेगा। सभी संचिकाओं का Scanning एवं Uploading किये जाने के उपरांत e-Office का क्रियान्वयन सुचारु रुप से किया जा सकेगा ।

(2) **<u>Cleanliness Campaign Of Files & Record Management</u>**- निदेशित किया गया कि शीघ्र Scanning एवं Uploading का कार्य प्रारंभ कराया जाय। Scanning एवं Uploading के कार्य की जिम्मेवारी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की होगी। सभी अवर सचिव अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी को यह आदेश निर्गत करेंगे कि अपने प्रशाखा अंतर्गत सभी संचिकाओं का वर्गीकरण करते हुये संबंधित एजेंसी को संचिका उपलब्ध करायेंगे। सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को यह निदेश देंगे कि एजेंसी को संचिका उपलब्ध कराते समय संचिकाओं के पत्राचार भाग के पृष्ठ एवं टिप्पणी भाग के पृष्ठ की संख्या का वर्णन करते हुये उपलब्ध करायेंगे तथा संचिका प्राप्त करते समय संचिकाओं के पत्राचार भाग के पृष्ठ एवं टिप्पणी भाग के पृष्ठ की संख्या का मिलान कर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अवर सचिव अपने अधीनस्थ सभी प्रशाखाओं में साफ–सफाई, संचिकाओं का व्यवस्थित तरीके से रख–रखाव, संचिकओं का उनके प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कार्य करायेंगे एवं आगामी बैठक में उससे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) **Office Scrap Disposal-** लेखा प्रशाखा द्वारा बताया गया कि विभाग अंतर्गत परित्यक्त/अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी करने हेतु विभागीय पत्रांक 4754 अनु0 दिनांक 21.08.2024 द्वारा निष्प्रयोजित कम्प्यूटर, उपस्कर की नीलामी हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना एवं विभागीय पत्रांक 4994 दिनांक 07.05.2025 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर में विभाग में बेकार/खराब Cassete AC की नीलामी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। विभागीय पत्रांक 5220 दिनांक 10.09.2025 द्वारा विभाग के अधीन 14/15 वर्ष पुराने कुल 06 वाहनों की नीलामी करने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना को प्राधिकृत किया गया है। कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक 617 दिनांक 25.04.2025 द्वारा यह सुचित किया गया है कि उक्त वाहनों की नीलामी MSTC, Ltd, Patna के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है तथा नीलामी के उपरांत प्राप्त राशि 2,90,101/– (दो लाख नब्बे हजार एक सौ एक) रुपये मात्र बैंक खाते में जमा करा दिया गया है।

विभाग अंतर्गत परित्यक्त/अनुपयोगी सामग्रियों की नीलामी MSTC, Ltd, Patna के माध्यम से किये जाने की संभावनाओं पर एक प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश लेखा प्रशाखा को दिया गया है।

(4) **Reference From MLA/IMC Reference/District Reference-** समीक्षा में यह पाया गया कि माननीय विधानपरिषद्/माननीय विधानसभा सदस्यों के reference आदि का मामला अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/योजना से संबंधित सभी सभी नोडल पदाधिकारी के यहाँ निष्पादित किया जाता है। अतः प्रशाखा–1 सभी संबंधित से प्रतिवेदन आगामी बैठक के पूर्व उपलब्ध कराने हेतु एक पीत–पत्र भेजेंगे तथा श्री ओज प्रकाश, प्रशाखा पदाधिकारी सभी संबंधित नोडल से प्रतिवेदन प्राप्त कर आगामी बैठक में समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(5) **Easing Of Rules/Processes-** उक्त बैठक में निविदा से संबंधित कार्यो को आसान करने हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/योजना से संबंधित सभी नोडल पदाधिकारी के साथ इस संबंध में निर्गत पत्र/परिपत्र/SOP आदि के साथ दिनांक 07.07.2025 (सोमवार) को विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आहुत किया जाना है। जिसमें निविदा निष्पादन से संबंधित पत्र/परिपत्रों/ SOP पर विचार–विमर्श किया जायेगा।

(6) **Public Grievance Appeals-** श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम–2015, सेवा शिकायत निवारण अधिनियम एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लंबित अपील के मामलों की सूची उपलब्ध कराया गया है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 1268 दिनांक 30.06.2025 द्वारा श्रीमति अर्चना भारती, बि0प्र0से0. को विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किया गया है तथा इसी अधिनियम के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 2404 दिनांक 28.02.2025 द्वारा श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना है तथा इनके अनुपस्थिति में श्री कुमार अनिल सिन्हा बि0प्र0से0, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के प्रभार में रहेंगे। इस अधिनियम के तहत विभागीय स्तर पर प्राप्त द्वितीय अपील आवेदनों का निपटारा अपर मुख्य सचिव–सह–द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, ग्रामीय कार्य विभाग,

पटना द्वारा किया जाता है। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विभाग के अंतर्गत 05.06.2016 से 30.06.2025 तक कुल 841 परिवाद पत्र प्राप्त हुये हैं। जिसमें से कुल 820 परिवाद पत्रों को निष्पादन किया जा चुका है तथ कुल 21 मामला सुनवाई हेतु लंबित है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास प्राप्त परिवाद पत्रों की संख्या 75 है। जिसमें कुल 67 परिवाद पत्रों का निष्पादन किया जा चुका है तथा सुनवाई हेतु मात्र 08 मामले लंबित हैं।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 105 सहपठित ज्ञापांक 2408 दिनांक 11.05.2023 द्वारा श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव को नामित किया गया है। विभाग अंतर्गत वर्ष 2025 में कोई परिवाद पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में तीन परिवाद पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें सभी पत्रों का निष्पादित किया जा चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्रीमति मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव को विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया गया है एवं श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव को विभागीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रुप में नामित किया गया है। (i) 01.01. 2025 से 30.06.2025 तक विभाग में प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र 'क' की कुल संख्या 58 है। निष्पादित आवेदन प्रपत्र 'क' की कुल संख्या 58 है। लंबित आवेदन प्रपत्र 'क' की कुल संख्या शुन्य है।

(ii) 01.01.2025 से 30.06.2025 तक जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की संख्या 112 है।

(iii) 01.01.2025 से 30.06.2025 तक अन्य विभागों से हस्तांतरित आवेदन प्रपत्र 'क' की कुल संख्या 22 है। लंबित आवेदन प्रपत्र 'क' की कुल संख्या शुन्य है।

(iv) 01.01.2025 से 30.06.2025 तक प्राप्त प्रथम अपील आवेदनों की संख्या 10 निष्पादित प्रथम अपील आवेदनों कुल संख्या 09 है। लंबित प्रथम अपील आवेदनों की कुल संख्या 01 है।

(iv) राज्य सूचना आयोग के माध्यम से विभाग को प्राप्त सूचना के अधिकार से संबंधित दायर द्वितीय अपील वाद आवेदनों की संख्या 17 है।

(7) **<u>Assembly Assurance</u>**- विधान मंडल (विधान सभा/विधान परिषद) से संबंधित लंबित आश्वासन के मामलों को सूची श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार विभाग अंतर्गत विधान परिषद से संबंधित आश्वासन के मामले विगत तीन वर्षो मे कुल 41 प्रश्न विभाग मे प्राप्त हुआ है, जिसमे से 9 प्रश्नों का उत्तर विधान परिषद सचिवालय को भेजी जा चूकी है तथा तीन प्रश्नो का संबंध इस विभाग से नहीं होने के कारण संबंधित अन्य विभाग में हस्तांतरित किया गया है शेष 29 प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन संबंधित मुख्य अभियंता से प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे अभी तक लंबित है।

विभाग अंतर्गत विधान सभा से संबंधित आश्वासन के मामले विगत तीन वर्षो मे कुल 526 प्रश्न विभाग मे प्राप्त हुआ है, जिसमें से 18 प्रश्नों का उत्तर विधान सभा सचिवालय को भेजी जा चूकी है, कुल 04 मामला अन्य विभाग से संबंधित होने के कारण हस्तांतरित किया गया है तथा कुल 470 प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन संबंधित मुख्य अभियंता से प्राप्त नहीं होने की स्थिति मे अभी

तक लंबित है। सभी मुख्य अभियंता को निदेशित किया जाता है की लंबित आश्वासन से संबंधित प्रश्नों का जवाब यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(8) स्वच्छ बिहार पोर्टल के अंतर्गत SCDPM के क्रियान्वयन हेतु आगामी समीक्षा बैठक दिनांक–**11.07.2025 (शुक्रवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे** आहुत की जायेगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

4/7/25

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी,
बिहार स्वच्छ पोर्टल,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक –12/अ0प्र0–08–02/2025 7284 पटना/दिनांक– 4.7.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के निजी सहायक/सभी विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/ सभी संयुक्त सचिव /सभी मुख्य अभियंता/विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/विभागीय सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार /तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री राहुल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री सुजीत कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री अमन कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री ओवैश हाशिम, कार्यपालक सहायक एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/7/25

संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक –12/अ0प्र0–08–02/2025 7284 पटना/दिनांक– 4.7.25

प्रतिलिपिः–सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4/7/25

संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।